संख्या–५५७३ /सैंतीस–2–2013–1(45)/12टी.सी.

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक–10 दिसम्बर, 2013

विषयः– उ. प्र. कुक्कुट विकास नीति–2013 के अन्तर्गत प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना हेतु उद्यमी द्वारा उ0 प्र0 जमीदारी विनाश अधिनियम–1950 की धारा–143 के अन्तर्गत स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र दिये जाने पर प्राथमिकता पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ. प्र. कुक्कुट विकास नीति–2013 के अन्तर्गत प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–2280/सैंतीस–2–2013–1(45)/12, दिनांक 17–06–2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश के प्रस्तर–5.3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि यदि उद्यमी द्वारा अपनी भूमि पर कुक्कुट विकास नीति के अनुरूप कामर्शियल लेयर्स फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की कोई इकाई स्थापित की जाती है तो उस पर उ0 प्र0 जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत भू–उपयोग का संशोधन करना आवश्यक नही होगा।

3– इस संबंध में राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–1192/एक–1 –2012–24(2)/2012, दिनांक 24–12–12 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 जमीदारी विनाश अधिनियम की

––2/

धारा–143 के अन्तर्गत यदि कोई कुक्कुट पालक उद्यमी कामर्शियल लेयर्स फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना हेतु स्वेच्छा से भूमि उपयोग परिवर्तन कराना चाहता है तो उसे प्राथमिकता पर निस्तारित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
उप सचिव।

संख्या– 447301/ सैंतीस–2–2013, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
(2) समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अमर सेन सिंह)
उप सचिव।